झारखण्ड सरकार

कार्यालय

# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़।

## (जिला भू–अर्जन शाखा)

**–: आदेश :–**

झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के अध्याय– III के नियम 13 के अनुसार विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा की जानी है। इसके अन्तर्गत कजलादाहा–पाकुड़िया पथ निर्माण हेतु अंचल– पाकुड़िया के ग्राम– पाकुड़िया, डेकीडूबा, खक्सा, बाबुझूटी, गणपुरा, डुगींबरमसिया एवं फूलोपानी में अधिग्रहित **कुल रकवा 35.89** एकड़ के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा– 07 के आलोक में सामाजिक वैज्ञानिक (Social Scientist), ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, पुनर्वास विशेषज्ञ (Expert on Rehabilitation) तथा परियोजना तकनीकि विशेषज्ञ को शामिल करते हुए **विशेषज्ञ समूह (Expert Group)** गठित किया जाना है। सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन को समीक्षा करने तथा मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के धारा– 7 के आलोक में कजलादाहा–पाकुड़िया पथ निर्माण हेतु **विशेषज्ञ समूह (Expert Group)** का गठन निम्नवत किया जाता है :–

1. सामाजिक वैज्ञानिक
   (i) डा0 त्रिवेणी प्रसाद भगत – सेवानिवृत, प्राचार्य, के0के0एम0 कॉलेज, पाकुड़ – अध्यक्ष
   (ii) डा0 उमेश कुमार – विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र, के0के0एम0 कॉलेज, पाकुड़ –सदस्य
2. पंचायत प्रतिनिधि
   (i) श्रीमती उर्मिला हॉसदा – मुखिया, खक्सा पंचायत – सदस्य
   (ii) श्री जयधन मुर्मू – मुखिया, बड़ासिंहपुर पंचायत – सदस्य
3. पुनर्वास विशेषज्ञ
   (i) श्री प्रवीर भट्टाचार्य – आनंदपुरी कॉलोनी, पाकुड़ (पैनम के पुर्व पुर्नवास कार्य प्रभारी)–सदस्य
   (ii) श्री श्रीतन हॉसदा – धनुषपुजा, पाकुड़ – सदस्य
4. तकनीकि विशेषज्ञ
   (i) श्री जय शंकर – कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पाकुड़– सदस्य

विशेषज्ञ समूह के द्वारा कजलादाहा–पाकुड़िया पथ निर्माण से संबंधित एजेंसी से प्राप्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा कर अविलम्ब निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मंतव्य सहित समर्पित किया जायेगा।

1. परियोजना लोक प्रयोजन के उद्देश्य को पूरा करती है अथवा नही के संबंध में।
2. सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक प्रभाव के कुप्रभाव अथवा लाभ के संबंध में।
3. अन्य प्रतिवेदन/मंतव्य जो विशेषज्ञ समूह आवश्यक समझती हो।

ह0/-
उपायुक्त,
पाकुड़।

ज्ञापांक 09 /भू0अ0 पाकुड़, दिनांक 13-01-18

प्रतिलिपि– विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष/सभी सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, पाकुड़/अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पाकुड़/ अंचल अधिकारी, पाकुड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़िया विशेषज्ञ समूह को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि आदेश की प्रति को पाकुड़ के वेवसाईट पर डालना सूनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित।

11/01/18

उपायुक्त,
पाकुड़।